

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया


### आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 11 कैएसडी की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्बत	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रासुवाला	चक 11 कैएसडी खाता सं. <del>33/11</del> 54/11	पाननलाल पुत्र भनीराम	पाननलाल पुत्र भनीराम


नोट :- शेष प्रविष्टि / यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।



  
 (रमेश देव)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 संगरिया (SDO)  
 दिनांक :- 11/5/23

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी पाननलाल पुत्र भनीराम निवासी 11 कैएसडी रासुवाला
3. आदेश पत्रावली।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 संगरिया (SDO)  
 दिनांक :- 11/5/23